

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र, 05, गुरुवार, शाके 1948- अगस्त 27, 2026 Bhadra 05, Thursday, Saka 1948- August 27, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (गुप-1) विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 22, 2026

संख्या प.9(10)राज-1/2026-37518:- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 9(104)राज-1/2023-26745 दिनांक 22.03.2025 में क्रम संख्या-3 पर फलौदी जिले की तहसील बापिणी के मूल राजस्व ग्राम पड़ासला में से नवघोषित राजस्व ग्राम रातड़ी भोमियाजी नगर के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका उनवान नैनूदेवी व अन्य बनाम राज्य सरकार एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 5749/2025 में दिनांक 08.04.2025 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त न्यायिक आदेश के अनुक्रम में जिला कलक्टर, फलौदी द्वारा याची से प्राप्त अभ्यावेदन का निर्धारित मापदण्डों के संदर्भ में जांच उपरांत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित प्रस्ताव मय अनुशंषा के अनुक्रम में राज्य सरकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा 16 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा राजस्व ग्राम **रातड़ी भोमियाजी नगर का नाम निरस्त/परिवर्तित कर ग्राम का नाम रातड़ी नगर (Ratadi Nagar) निर्धारित करती है।**

इस अधिसूचना के प्रसारण से राजस्व ग्राम की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा अधिसूचना RajKaj Ref. No. 14323977 दिनांक 22.03.2025 का शेष विवरण यथावत रहेगा। जिला कलक्टर, फलौदी ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,

शासन उप सचिव।

23457

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।